

प्रेषक,

प्राणेश चन्द्र शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ :दिनांक : 27 मार्च, 2020

विषय:-कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं उसकी रोकथाम के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 से बचाव एवं इसकी रोकथाम के संबंध में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पत्रों के माध्यम से कतिपय दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं:-


क्र०	प्रेषक एवं पत्र दिनांक	विषय
1.	प्रोफेसर (डा०) बलराम भार्गव, सचिव, भारत सरकार, स्वा० एवं प०क० विभाग के पत्र दिनांक 22.03.2020।	कोविड-19 के इलाज में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन के प्रयोग के संबंध में।
2.	प्रोफेसर (डा०) बलराम भार्गव, सचिव, भारत सरकार, स्वा० एवं प०क० विभाग के पत्र दिनांक 25.03.2020	कोविड-19 के दृष्टिगत टी०बी० प्रिवैलेन्स सर्वे स्थगित करने के संबंध में
3.	अरूण सिंघल, विशेष सचिव, भारत सरकार, स्वा० एवं प०क० विभाग के पत्र दिनांक 18.03.2020	कोविड-19 के रोकथाम के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पुनर्विनियोग की अनुमति के संबंध में।
4.	श्री गिरधर अरमाने, अपर सचिव, कैबिनेट सचिवालय के पत्र दिनांक 19.03.2020	उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने हेतु हेण्ड सेनेटाइजर का उत्पादन बढ़ाये जाने के संबंध में।
5.	डिप्टी सेक्रेटरी, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मन्त्रालय के पत्र दिनांक 19.03.2020	कोविड-19 के कारण फसं विदेशी नागरिकों को काउन्सलर एक्सेस उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
6.	रवि कपूर, सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मन्त्रालय के पत्र दिनांक 20.03.2020	कोविड-19 से बचाव के संबंध में मेडिकल टेक्सटाइल मटेरियल का निर्बाध संचलन सुनिश्चित करने हेतु।
7.	के० रामचन्द्र, एडवाइजर, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.03.2020	टेलीकाम सेवाओं के संचालन के संबंध में।
8.	वन्दना गुरनानी, अपर सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मन्त्रालय के पत्र दिनांक 20.03.2020	लम्बित डी०बी०टी० के भुगतान में शीघ्रता करने के संबंध में।
9.	सुश्री प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के पत्र दिनांक 19.03.2020	कोविड-19 हेतु होम कोरेनटाइन की गाइडलाइन।
10.	सुश्री प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार	सोशल डिस्टैन्सिंग के उपाय

	कल्याण मन्त्रालय के पत्र दिनांक 20.03.2020	
11.	पवन कुमार अग्रवाल, सचिव, परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.03.2020	मास्क एवं हैंड सेनेटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित करना।
12.	पवन कुमार अग्रवाल, सचिव, परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.03.2020,	कोविड-19 की रोकथाम हेतु आवश्यक सामग्री यथा मास्क, सेनेटाइजर आदि की उचित मूल्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु दिशा-निर्देश
13.	पवन कुमार अग्रवाल, सचिव, परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.03.2020,	एल्कोहल आधारित सेनेटाइजर के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना।
14.	डा0 चन्द्रमौलि, सचिव, परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.03.2020	कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु निर्गत निर्देशों दिनांक 19 मार्च को लागू किये जाने के संबंध में।
15.	डा0 चन्द्रमौलि, सचिव, परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.03.2020	कोविड-19 के प्रसार को रोकने के संबंध में भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 16/17 मार्च को लागू किये जाने के संबंध में।
16.	योगेद्र त्रिपाठी, सचिव, परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.03.2020,	कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में दिशा-निर्देश।
17.	अमित खरे, सचिव, परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.03.2020	कोरोना वायरस कोविड-19 के संबंध में पूर्व सावधानी लिये जाने के संबंध में।
18.	लव अग्रवाल, संयुक्त सचिव, परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.03.2020	चिकित्सालयों/चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में दिशा-निर्देश।

2- उक्त पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि।


भवदीय,


(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या- (1)/पॉच-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा/आयुष विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,


(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव